फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

प्रार्थी : श्री गटुराम **विपक्षी : श्री राज्य**

किस्म मुकदमा – 136 भू.रा. अधिनियम **पत्रावली संख्या : 54/19**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई

दिनांक : 18.05.2023

पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान–2023 कैम्प नामरी में पेश हुई। तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल फाईल हैं। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माना जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र को ही बहस मानी जाने का निवेदन किया। उभय पक्षकारान को सुना गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रार्थी के अनुसार आराजी नम्बर 1935/1264 रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि किस्म सार्वजनिक तलाई से किस्म अन्य दर्ज करने एवं आराजी नम्बर 1992/1265 में प्रार्थी के मकान को राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया। तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में नामान्तरकरण सं. 617 ग्राम घणोली राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.2(249)राज/ग्रुप–3/89 दिनांक 03.11.93 एवं 08.02.94 व श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय उदयपुर के आदेश क्रमांक प.12/6(31)राजस्व/89–568–72 दिनांक 11.03.94 एवं तहसील आदेश क्रमांक राजस्व/74–75 दिनांक 23.03.94 की अनुपालना में राजस्व अधिकारी द्वारा दिनांक 08.04.94 को निर्णित किया गया जिसमें किस्म महफुज चरनोट में से 10 बीघा बिलानाम सार्वजनिक तलाई के नाम खाता कायम कर भूमि किस्म तलाई अंकित हुआ जो बाद रोटेशन कम्प्यूटरीकृत जमाबन्दी में किस्म बिलानाम तलाई के स्थान पर सेहवन से किस्म अन्य प्रिन्ट हो गया, जिसे जरिये शुद्विपत्र दिनांक 10.06.2019 को किस्म अन्य के बजाय पुनः सार्वजनिक तलाई दर्ज किया गया। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी गटुराम द्वारा आराजी नम्बर 1935/1264 में मकान बनाकर निवासरत है जो किस्म तलाई सार्वजनिक दर्ज होना बताकर उक्त मकान विवादित भूमि के पूर्व एवं नाले के पश्चिम के मध्य में मौके पर स्थित पाल पर हैं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया। अतः तलाई एक जल भराव क्षेत्र हैं जिसमें बरसात होने पर जल प्रवाह होता हैं। सेटलमेन्ट से ही उक्त तलाई राजस्व रेकार्ड में दर्ज हैं। चूंकि प्रार्थी इस तलाई की किस्म को परिवर्तन करवाना चाहता है जबकि वर्तमान प्राकृतिक बहाव/भराव को परिवर्तन नहीं किया जा सकता हैं। चूंकि प्रकरण में प्रथम दृष्टया मौके पर सार्वजनिक तलाई होने का तथ्य रिपोर्ट से ज्ञात हुआ हैं। प्रार्थी उक्त तलाई को राजस्व नक्शें से हटवाना चाहता हैं, जो कि राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम की धारा 136 के तहत् पोषणीय नहीं हैं। उक्त प्रकरण में तलाई को परिवर्तित किया जाना माननीय न्यायालय के प्रकरण अब्दूल रहमान बनाम सरकार के तहत् प्रतिबन्धित की श्रेणी में भी आता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता हैं।

:: आदेश ::

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.रा.अ. का स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.06.20 14:05:14 IST
Reason: SelfAttested

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली